

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड, 12- सुभाष रोड देहरादून।
पत्रांक :डीजी-छ:-218/2011 दिनांक,देहरादून, मई 2011

सेवा में,

वेबलाइन इन्फोसोफ्ट (प्रा0लि0)
प्रथम तल अभिषेक टावर,
14 सुभाष रोड, देहरादून।

उत्तराखण्ड पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 13-08-2011 से एक वर्ष हेतु लागू किये जाने के सम्बन्ध मे विज्ञप्ति की प्रति संलग्न कर इस आशय से भेजी जा रही है कि कृपया इसे उत्तराखण्ड पुलिस के [web:www.uttaranchalpolice.com](http://www.uttaranchalpolice.com) में डालने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

(जीवन चन्द्र पाण्डे)
पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय
उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय,
देहरादून।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, 12- सुभाष रोड देहरादून।
पत्रांक :डीजी-छ:-218/2011 दिनांकित: मई 2011

दूरभाष सं: 0135-2712685
फैक्ससं0-0135-2712080

कार्यालय ज्ञाप

देहरादून स्थित जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनियों से उत्तराखण्ड पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये लागू की जाने वाली व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है :-

- 1- उत्तराखण्ड पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 13-08-2011 से एक वर्ष हेतु लागू की जायेगी।
- 2- बीमित धनराशि रू0 2,10,000-00 प्रस्तावित है।
- 3- व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत मेडिकल रिएमब्रेसमेन्ट भी आच्छादित होगा।
- 4- बीमित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या लगभग 22,000 होगी।
- 5- इच्छुक जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनियों अपने प्रस्ताव प्रति व्यक्ति प्रीमियम की धनराशि एवं कम्पनी के नियम/शर्तों सहित दिनांक 25 जून, 2011 के सांय 05 बजे तक पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय 12 सुभाष रोड देहरादून को प्रेषित करेंगे।
- 6- यदि इस सम्बन्ध में किसी सूचना/स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कम्पनी का प्रतिनिधि पुलिस मुख्यालय के अनुभाग-छ: से सम्पर्क कर सकते हैं।
- 7- इस सम्बन्ध में किसी भी निर्णय का अधिकार पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय को होगा।

↓
D-21.5.11
(जीवन चन्द्र पाण्डे)
पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय
उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय,
देहरादून।